


प्रकरण संख्या 44/18 अनवान सरोज केवर बनाम जेडिप

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>23/4/24</p>	<p>पीठासीन अधिकारी आज <del>अवकाश</del> पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्च सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक <u>5/6/24</u> को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">आज्ञा से</p> 	
<p>5.6.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में अधिवक्ता पता उपस्थित। अपीलकर्ता आदेश का अवलोकन किया गया जो कि अधिवक्ता नगर जोधपुर न्यायालय जोधपुर (कमिश्नर जमाना प्रभु) के द्वारा दिनांक 02 के पत्र में पत्रावली सं. 746 दिनांक 9-5-2008 जारी किया गया है, के विरुद्ध नए अपील द्वारा 90-A नगर-भू नगर अधिनियम के तहत पेश की गई है।</p> <p>उक्त अपीलकर्ता आदेश एवं आदेश 90-A नगर-भू नगर अधिनियम का अवलोकन किया गया अपीलकर्ता पत्रावली के विरुद्ध आदेश 90-A के तहत अपील के जमाने पूर्ण हो चुके हैं। आदेश 90-A में अपीलकर्ता अपील का संशोधन/परिवर्तन करते हुए अपीलकर्ता का अधिवक्ता पत्रावली नगर-भू नगर अधिनियम के तहत अपीलकर्ता के द्वारा पत्रावली आदेश के विरुद्ध ही आदेश 90-A के तहत अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता संभागीय आयुक्त को पेश है।</p>	




न्यायालय सभागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

JPA ऑर्डर  
नियंत्रित

प्रकरण संख्या 44/2019 अनवान 22/1/2019

बनाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>लागत</p> 	<p>उक्त प्रकरण के विषय में अतिरिक्त के तहत प्रस्तुत अपील के तहत सुनवाई हेतु सभागीय आयुक्त अधिकृत नहीं हैं। ऐसे में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई को न्यायाधीश की नहीं होवे से अपील को सभागीय आयुक्त पर प्रेषित करने हेतु निर्णय किया है। प्रस्तावित निरन्तरता का रिकार्ड है कान ही।</p> <p>24/1</p> <p>सभागीय आयुक्त जोधपुर</p>	